तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/18	30/3/18 का अवकाश होने के कारण पत्रावली [illegible] उपस्थित [illegible] वादी/प्रतिवादी में [illegible] अधिकारों के समकार्य हो [illegible] प्रकरण में सुनवाई नहीं [illegible] दिनांक ---- पेश हो 14/6/18 ------को पुनश्च पत्रावली दि० 5/6/18 को केम्प मोरपा मे पेश हो।	
5/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प मोरपा में पेश हुई। पैरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। पैरोकार सरकार ने कथन किये कि वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम गोरपा तहसील दीगोद स्थित पुरानें ख0नं0 1109 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा व ख0नं0 1128 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा के नये ख0नं0 736 रकबा 0. 87 हे0, ख0नं0 759 रकबा 3.64 हे0 में 0.54 हे0 की कमी पूर्ति सिवायचक ख0नं0 738/1922 रकबा 0.34 हे0 व अन्य सिवायचक भूमि में से मौके पर व रिकॉर्ड में करनें तथा वादीगण को 4.51 हे0 के स्थान पर 5.05 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किये जानें बावत् प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। जवाब सरकार में कथन किये गये है कि वाद के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कमी हुआ रकबा किस खसरा में मिलाया गया है तथा वाद खारिज किये जानें की अनुशंषा की है। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विधिक विचारण किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में किये गये कथन प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या उचित पाते है कि वादीगण की खातेदारी आराजी में पूर्व के मुकाबले वर्तमान में रकबा कम अंकित किया गया है। किन्तु वादीगण का यह भी दायित्व था कि वह पूर्ण तथ्यों की प्रमाणिकता के साथ वाद पत्र के अंकित कथनों को पूर्ण रूप से प्रमाणित करते, वादीगण ने मात्र उनके खातें में हुई कमी रकबा के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किये है, जबकि वादीगण को यह तथ्य भी साक्ष्य से प्रमाणित करना चाहिए था कि कमी रकबा पूर्व के मुकाबलें किस खसरा नम्बर में बढाया गया है। वादीगण द्वारा उक्त तथ्य की प्रमाणिकता के सम्बन्ध	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी
	में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, अपनें वाद पत्र में मात्र कथन किये है कि रकबा पूर्ति सिवायचक भूमि से की जावें। परन्तु सिवायचक भूमि में से रकबा पूर्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रमाणित हो कि बेशी रकबा सिवायचक भूमि में ही बढाया गया है। जिससे वादीगण को वादपत्र की प्रार्थना अनुसार रिलीफ दिया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजनें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मोरपा

उनवान

1. रमेश चन्द पुत्र रामनारायण
2. चन्द प्रकाश पुत्र रामनारायण
3. मूर्ति पुत्री रामनारायण
4. सरस्वती पुत्री रामनारायण
5. गायत्री पुत्री रामनारायण
6. सुन्दर बाई बेवा रामनारायण जाति अहीर निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–34/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner